रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 684] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

का. आ. 914(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ(जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: —

(1) यह आदेश न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में, अनुसूची में मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में क्र.सं. 119 के बाद तथा इससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित संख्या तथा प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामत: —

"120. मैसर्स बालाजी पेपर एवं न्यूजप्रिंट प्रा. लि., मानिकपाड़ा, झारग्राम, मिदनापुर (पश्चिम), मिदनापुर, पश्चिम बंगाल"।

[फा. सं. 4(4)/2014-कागज]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 के का.आ. 1105(अ) के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और दिनांक 3 मार्च, 2014 के का.आ. 610(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Paper Section)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 2015

S.O. 914(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:—

1. (1) This order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the mill and location, after S. No. 119, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

"120. M/s. Balaji Paper & Newsprint Pvt. Ltd., Manikpara, Jhargram, Midnapur (West), Midnapur, West Bengal".

[F. No. 4(4)/2014-Paper]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended *vide* number S.O. 610(E), dated the 3rd March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.